INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान
पटवार

भाग-5

संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था

(भारत + राजस्थान)

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "राजस्थान पटवारी नोट्स" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है/ ये नोट्स पाठकों को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा " राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा – 2021" में पूर्ण संभव मदद करेंगे/

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स मे कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सुधी पाठको का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

225, OKAY PLUS SPACES, मालवीयनगर इंडस्ट्रियल एरिया, नियर अपैक्स सर्किल, जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784

ईमेल : contact @ infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com/

मूल्य : ₹600

संस्करण : नवीनतम (2021)

भारतीय संविधान

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2. संविधान का निर्माण	3
3. संविधान की प्रमुख विशेषताएं	6
4. संविधान की प्रस्तावना	8
5. संघ एवं इसका क्षेत्र	11
6. नागरिकता	14
7. मौलिक अधिकार	16
8. नीति निदेशक तत्व	25
9. मूल कर्तव्य	29
10. संघ कार्यपालिका (राष्ट्रपति)	33
11. उपराष्ट्रपति	51
12. प्रधानमंत्री	54
13. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद	56
14. भारतीय संसद	60
15. भारतीय न्यायपालिका	72
16. राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल)	75
17. मुख्यमंत्री	77
18. राज्य महाधिवक्ता	78
19. उच्च न्यायालय	88
20. पंचायती राज	91
21. केन्द्र राज्य सम्बन्ध	103
22. संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय	107
23. संविधान संशोधन	130
24. आपातकालीन उपबंध	137
25. लोकनीति	146

राजस्थान की राजव्यस्था

1. सामान्य परिचय	154
2. राज्यपाल	155
3. मुख्यमंत्री	161

4. राज्य विधानसभा	164
5. उच्च न्यायालय	169
6. राजस्थान लोक सेवा आयोग	174
7. राजस्थान में जिला प्रशासन	175
8. राज्य मानवाधिकार आयोग	176
9. लोकायुक्त	178
10. राज्य निर्वाचन आयोग	181
11. राज्य सूचना आयोग	182
12. राजस्थान राज्य महिला आयोग	185

अध्याय-1
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1. 1773 का रेगुलेटिग एक्ट
2. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
3. 1833 का चार्टर अधिनियम
4. 1853 का चार्टर अधिनियम
    a. भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
    b. महारानी एलिजावेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे।

1773 का रेगुलेटिग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल कहा।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
- बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश 'एलिजा इम्पे' थे।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यो को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यो और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका सबंधी शक्ति से वंचित कर दिया।0
- लार्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अन्तिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।
- इसने पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया।

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

- 1858 का भारत शासन अधिनियम।
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम।
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया।
- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
- गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया।
- लार्ड कैनिग भारत के प्रथम वायसराय बने।
- एक नए पद 'भारत के राज्य सचिव' का सृजन किया गया।

1861 के भारत परिषद अधिनियम

अध्याय-५

संविधान की प्रस्तावना

- सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाये गये 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गये।
- एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा।

संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु

" हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्पित होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्त्रोत भारत की जनता होगी।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है।
- न्याय स्वतंत्रता समता व बस संविधान के उद्देश्य है।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया

प्रस्तावना के मुख्य शब्द

1. **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न** – भारत की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व राज्य घोषित किया गया है। प्रभुत्व राज्य से आशय है की राज्य के आंतरिक व बाह्य मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा।

राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार की संप्रभुता देखने को मिलती है।

(a) वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुत

(b) नाममात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता

(c) लोकप्रिय संप्रभुता

(d) नाममात्र की तथा तथ्यात्मक संप्रभुता

- संप्रभुता का सिद्धान्त 17वी सदी के लेकर 1990 तक सैद्धान्तिक एवम व्यवहारिक रूप में एक समान रूप से लागू था अर्थात किसी भी देश के आन्तरिक तथा बाह्य मामलो में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था।
- लेकिन 1990 के बाद वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, निजीकरण एवम वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया गया और धीरे-धीरे संप्रभुता का सिद्धान्त सिद्धान्त व्यावहारिक रूप में कमजोर पड़ा। वर्तमान समय में वस्तुओं एवम सेवाओं के आदान-प्रदान के कारण लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक – दूसरे से जुड़ गयी। अतः वर्तमान समय में कोई भी देश व्यावहारिक रूप में पूर्ण संप्रभुता का दावा नही कर सकता।

२. **समाजवादी** :- समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 42 वें सविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया जोकि गाँधीवादी समाजवाद से प्रभावित है न की कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद अवधारणा को अपनाया गया।

भारत में अपनाए गए समाजवाद से लोककल्याण भी निहित है। अर्थात राज्य के द्वारा उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा। जो वंचित, शोषित है अर्थात राज्य खाधान्न ,पेयजल ,शिक्षा ,चिकित्सा ,आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

साथ ही भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया गया। जिसके तहत उत्पादन के साधनों पर राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों को अधिकार दिया गया और वर्तमान समय में धीरे-धीरे राज्य अपना दायरा सीमित कर रहा है और निजी क्षेत्र को बड़ावा दिया जा रहा है।

3. **पंथनिरपेक्ष** – पंथनिरपेक्ष शब्द भी मूल प्रस्तावना में शामिल नही था। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया।

इसी प्रावधान के तहत अनेक राज्यों में राज्य के मूल निवासियों की विशेषाधिकर प्रदान किए गए है।

(2)किसी धर्म से संबंधित नियुक्ति के मामले में धर्म विशेष के होने की सीमा लगाई जा सकती है।

(3) विशेष वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जैसे- SC, ST, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कुछ राज्यों में महिलाओ के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान है।

अस्पर्शता का उन्मूलन (अनु.-17)

संविधान के अनु० 17 में यह प्रावधान है कि अस्पर्शता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पर्शता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा। इसके संबंध में दंड वह होगा ही संसद विधी द्वारा निर्धारित करें। संविधान में अस्पर्शता के संबंध में विशेष व्यवस्था नही की गई ।

अतः संसद के द्वारा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम-1955 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधि. के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों को अपराध माना गया ।

(a) सार्वजानिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना।

(b) किसी भी तरीके में अस्पर्शता का बचाव करना।

(c) सार्वजनिक स्थल जैसे - दुकान, होटल, मनोरंजन के साधन आदि के उपभोग से रोकना।

(d) सार्वजनिक संस्थान जैसे - शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आदि में प्रवेश से वंचित करना।

(e) अनुसूचित जाति का जातिसूचक शब्द के माध्यम से अपमान करना।

(f) किसी व्यक्ति को कोई सेवा अथवा वस्तु देने से इंकार करना ।

- उपर्युक्त नियम राज्य एवं व्यक्ति दोनों से सम्बंधित है। अर्थात न तो राज्य के द्वारा और ना ही व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जायेगा ।
- उपर्युक्त कानून के सम्बन्ध में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को इस सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करे।

उपाधियों का अंत (अनु. 18)-

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है -

(a) राज्यसेवा एवं विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नही करेगा ।

(b) भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नही करेगा।

(c) यदि कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत है तो उसे विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

(d) राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा उपलब्धी प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

- 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पद्म पुरस्कार उपाधि नही है, लेकिन इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनका प्रयोग अपने नाम में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में नही कर सकता।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार

अनु० 19 (1) में प्रावधान है कि राज्य अपने नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताए प्रदान करता है।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- (अनु. 19(1) A)

इसके अन्तर्गत बोलने एवं किसी भी रूप में अपने विचारो को अभिव्यक्त करना शामिल है। जैसे -

(a) सरकार के कार्य की प्रशंप्ता करना ।

(b) सरकार के कार्यो की आलोचना करना ।

(c) समाचार पत्र का प्रकाशन करना

(d) दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाए निकालना।

(e) न्यूज चैनल चलाना।

(f) फिल्म का प्रसारण करना ।

(g) अपने उत्पाद का विज्ञापन करना ।

(h) किसी प्रकार के राजीतिक बंद अथवा किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद का विरोध करना ।

(i) सोशल मीडिया।

- लेकिन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता नही है। इस पर

अध्याय-9
मूल कर्तव्य

मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से सम्बंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया था । 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नए भाग IVA और इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया । इसके द्वारा इस भाग में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया । ।।वें मूल कर्तव्य को 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया । इन्हें नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया हैं ।

। इनकी प्रेरणा भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गयी । मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को विश्व के अन्य प्रमुख लोकतान्त्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि ने नहीं अपनाया गया हैं ।

1.2 मूल कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण

अनुच्छेद 51(a)(1) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ।

विवरण :-

(i) संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित आदर्शों के बात की गई हैं जिनका पालन करने एवं जीवन में अपनाने की नागरिकों से अपेक्षा की गई हैं:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता

सभी व्यक्तियों की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का विकास करना ।

(ii) संविधान की संस्थाओं के अंतर्गत, मुख्यतः कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका सम्मिलित हैं ।

(iii) यदि किसी नागरिक की समस्या की सुनवाई ये संस्थाए नहीं करती हैं तो इसके लिए वह 'हुल्लड़ हड़ताल एवं हिंसा' का सहारा लेने के बजाय कानूनी एवं संवैधानिक मार्ग को अपनाए तथा इन संस्थाओं का सम्मान करें ।

अनुच्छेद 51 (a)(2) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें ।

विवरण:

(i) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ उच्च आदर्श निम्नलिखित हैं:

विदेशी शासन से मुक्ति एवं एक ऐसी स्वशासन व्यवस्था की स्थापना करना जो ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहाँ व्यक्ति, व्यक्ति का शोषण न करें तथ जहाँ गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा के लिए कोई स्थान न हों ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव हैं जब सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिल सकें

इस प्रकार के पूर्ण विकास हेतु व्यक्तित्व-निर्माण करने वाली शिक्षा की जरूरत होगी ।

इसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हितो से ऊपर रखना होगा ।

कुछ अन्य आदर्शों में समतापूर्ण समाज का निर्माण, अहिंसा, भाईचारा, विश्व शांति एवं स्वयं अनुच्छेद 51(1) में उल्लिखित बातें यथा महिलाओं का सम्मान करना, भारत की सामासिक संस्कृति की रक्षा करना, लोगों में वैज्ञानिक सोच एवं मानववाद का विकास करना आदि शामिल हैं ।

अनुच्छेद 51(a)(3) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

भारत की प्रभुता, एकता और अखंड़ता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें ।

विवरण:

(i) लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता, जनता में ही निहित होती हैं । अतः नागरिकों का यह परम कर्तव्य हैं कि वे भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंड़ता की किसी भी स्थिति मे रक्षा करें ।

(ii) व्यवहारिक रूप में, भारत की संप्रभुता एवं एकता-अखंड़ता की रक्षा हेतु भारतीय दंड़ संहिता (IPC) से संबंधित अपराधों एवं उन्हें रोकने के लिए दंड़ की व्यवस्था की गई हैं ।

अनुच्छेद 51 (a) (4) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

देश की रक्षा करें और आहवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ।

विवरण

(i) आधुनिक राष्ट्र-राज्य की संकल्पना में यह निहित हैं कि प्रत्येक नागरिक युद्ध या बाहर

अध्याय-12
प्रधानमंत्री

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती है।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता है:
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
- अंतरिक्ष विभाग आदि।

3.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
    - लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।

3.2 प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है:

3.2.1 मंत्रिपरिषद के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियो को उनके विभाग आवंटित करता है और उनमें बदलाव भी कर सकता है।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता है तो वह उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है।
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता है।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
- प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है।

3.2.2 राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता है।

3.2.3 संसद के संबंध में

अध्याय-15
भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है। लैटिन भाषा-भाषी लोग इसे भोजन के बाद की जाने वाली वार्ताओं के लिए प्रयोग करते थे। यह वार्ता पादरी लोग अपने-अपने पूजा गृहों में करते थे और इन वार्ताओं को 13वीं सदी की एकलवादी सरकारों ने 'गरिमाविहीन' कहकर निंदा की थी। मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्लो, और लार्डो की महान परिषद् के लिए प्रयोग किया था। तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं। जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी। संभवतः इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'

भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है। परम्परागत रूप में ऐसा माना जाता है कि लोक सभा में जनता द्वारा चुनकर ऐसे लोग आते हैं जो लोकप्रिय तो होते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अत्यंत योग्य एवं विद्वान ही हों, इसमें ऐसे लोग भी प्रायः आते रहे हैं जिनके पास अत्यंत मामूली किताबी ज्ञान भी न रहा हो, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, अतः उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य तथा जानकार होंगे, इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।

विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहां से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। चूंकि अधिकांश विधेयक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अतः विधेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' के रूप धारण करता है। संसद से पारित हुए विधेयकों का तबतक कोई अर्थ नहीं है जबतक कि, राष्ट्रपति के उसपर अपनी अनुमति न दे दी हो।

लोकसभा

प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन के सम्बन्ध में संविधान के दो अनुच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है। इसे 'लोकप्रिय सदन' भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 से इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य

संख्या 552 सन 2026 तक बनी रहेगी।

- . परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो।

2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।

3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो) 4. वह पागल / दिवालिया न हो।

- नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
- आपात उदघोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।

अधिवेशन

- लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए
- लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए।
- अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत
- करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।

विशेष अधिवेशन

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है। जब लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कम से कम 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दें या जब अधिवेशन चल रहा हो, तब लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना दें। ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभाध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं।

लोकसभाध्यक्ष - लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -

- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।
- लोकसभाध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- लोकसभाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।

अध्याय-17

मुख्यमन्त्री

राज्य क मन्त्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमन्त्री होता है। मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा (अनुच्छेद 164)। संविधान के अनुसार, राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त करना चाहिए, परन्तु संविधान में राज्यपाल पर मुख्यमन्त्री की नियुक्ति सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

जयललिता प्रकरण (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्यमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। यदि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमन्त्री नियुक्त करता है, जो विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत असंवैधानिक होगी।

योग्यताएँ

मुख्यमन्त्री बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए

- वह भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो।
- इसके अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं भी हो, छः माह के लिए मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसा न होने पर उसका मुख्यमन्त्री का पद समाप्त हो जाएगा।

अवधि

मुख्यमन्त्री की अवधि निश्चित नहीं है, उसका कार्यकाल विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार के दुरुपयोग के आधार पर अनेक बार बहुमत होने के बावजूद मुख्यमन्त्री को पदच्युत किया है, जिसका न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में आलोचना की है। उदाहरण के लिए; वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भण्डारा बारा कल्याण सिंह को अपदस्थ कर जगदम्बिका पाल नियुक्ति किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध माना।

मुख्यमंत्री के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य के प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। उसकी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ अग्र प्रकार है।

1. **मंत्रिपरिषद का निर्माण** :- मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राजा द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उप-मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकारी है।

2. **विभागों का विभाजन** :- संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि जो संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किंतु व्यवहार में वह सदस्यों की योग्यताओं और राजनीतिक महत्त्व को दृष्टि में रखकर ही विभागों का बँटवारा करता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है।

3. **मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन** :- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है, तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है।

4. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदका :- अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद के अधिवेशनो की अध्यक्षता करता है, अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।

5. **राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी** :- मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)। यदि राज्यपाल को किसी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है।

6. **राज्य विधानमंडल का नेता** :- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमण्डल का भी नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण विधानमंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। विधानमंडल में महत्त्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा का कार्यक्रम निश्चित करता है विधानसभा को स्थगित और भग किये जाने

अध्याय-20
पंचायती राज

- स्थानीय शासन 'महात्मा गाँधी' की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गाँधीजी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1956 में गठित बलवन्त राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

पंचायती राज व्यवस्था समितियाँ		
1.	बलवंत राय मेहता समिति	1957
2.	अशोक मेहता समिति	1977
3.	जी.वी.के. राव समिति	1985
4.	एल. एम. सिंघवी समिति	1986
5.	संथानम समिति	1962
6.	सादिक अली समिति	1964

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

- वर्ष, 1989 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल. एम. सिंघवी समिति और थुमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।
- तत्पश्चात, वर्ष 1991 में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान के लिए प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1991 को पारित कर दिया।
- 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।
- इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद (अनुच्छेद-243 से अनुच्छेद 243 (O) तक) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

- यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को प्रवर्तित हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस (Panchayat Day) के रूप में मनाया जाता है।
- इस संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सन् 1994 में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे।
- इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ इसमें सभी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है।
- इस प्रकार, भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, प्रशासन में लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

11वीं अनुसूची के विषय (अनुच्छेद 243छ)	
1.	कृषि एवं कृषि विस्तार।
2.	भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास
4.	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5.	मत्स्य उद्योग।
6.	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7.	लघु वन उपज।
8.	लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9.	खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10.	ग्रामीण आवास।
11.	पेयजल।
12.	ईंधन और चारा।
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल-मार्ग, अन्य संचार साधन।
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17.	शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा।
18.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19.	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा

(c) चार सूचियों में (d) पाँच सूचियों में

प्रश्न 4. केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है | निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं?

(a) अनुच्छेद 4 तथा 5 (b) अनुच्छेद 56 दादा 57

(c) अनुच्छेद 141 तथा 142

(d) अनुच्छेद 245 तथा 246

उत्तरमाला :-

1. (d) 2. (d) 3. (b) 4. (d)

अध्याय-22

संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय

१. संवैधानिक निकाय

४. निर्वाचन आयोग

पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्धारित समय पर निर्वाचन प्रजातंत्र का एक अनिवार्य पहलू है। निर्वाचन के माध्यम से सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि विधि के शासन पर आधारित संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता में आस्था निरंतर बनी रहे । निर्वाचन जितना अधिक पवित्रता एवं पारदर्शितापूर्ण होगा, जनता की निष्ठा लोकतंत्र में उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। लोकतंत्र रूपी अग्नि को अनवरत प्रज्वलनशील बनाए रखने में निर्वाचन घी का काम करता है। संविधान निर्माताओं को इस बात का भली-भांति ज्ञान था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश में निर्वाचन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी, अतः उन्होंने संविधान के भाग 15 में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है।

संविधान के अनु. 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे। निर्वाचन आयोग में नियुक्त होने वाले किसी भी आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही की जाएगी (अनु. 324 (2)) । वस्तुतः भारत का निर्वाचन आयोग संविधान निर्माताओं द्वारा एक सदस्यी ही बनाया गया था, लेकिन साथ ही उन्होंने भावी निर्वाचन संबंधी जटिलताओं का अनुभव कर उसे बहुसदस्यीय बनाने की संभावना एवं आवश्यकता को राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया था। सम्प्रति भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यी कुल 3 सदस्य है और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा शेष दो निर्वाचन आयुक्त हैं। अनु. 324 (3) के अनुसार जब निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयोग के अध्यक्ष तथा शेष व्यक्ति सदस्य के रूप में काम करेंगे। निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता देने के लिए उसे राष्ट्रपति और राज्यपाल यथा संभव कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएंगे (अनु. 324(6))।

भारत का महान्यायवादी (अनु. 76)

भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन की नकल होते हुए भी उससे काफी भिन्न है। ब्रिटेन में विधिमंत्री ही महान्यायवादी होता है और वह विधिमंत्री होने के कारण मंत्रिमण्डल का सदस्य भी होता है जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (कॉमन सभा में) पारित होता है या किसी कारण से कॉमन सभा विघटित हो जाती है तो महान्यायवादी (जो पदेन विधिमंत्री होता है लेकिन साथ-साथ महान्यायवादी का भी कार्य करता है) को भी पदत्याग करना पड़ता है। नया मंत्रिमंडल आने पर पुनः नए विधिमंत्री की नियुक्ति की जाती है जो महान्यायवादी का भी कार्य भार ग्रहण करत है। लेकिन भारत में इससे भिन्न प्रावधान है। भारत में महान्यायवादी एक स्वतंत्र संवैधानिक व्यक्तित्व है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है। उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करे। महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए वही योग्यता अपेक्षित है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए चाहिए। महान्यायवादी का यह कर्त्तव्य है कि वह भारत सरकार को कानून एवं संविधान संबंधी ऐसे विषयों पर परामर्श दे और कानूनी स्वरूप वाले ऐसे अन्य कार्यों / कर्त्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे। उसे साथ ही साथ ऐसे दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ेगा जो उसको इस संविधान द्वारा अथवा तत्समय किसी कानून द्वारा सौंपे जायें। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। उसे अपने कर्तव्यों के अनुपालन में भारत राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में (अधीनस्थ, उच्च तथा उच्चतम) भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। वह संसद के किसी भी सदन में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर सकता है लेकिन वह किसी भी मतदान भाग नहीं लेता है (अनु. 88) क्योंकि संसद में मतदान केवल वे व्यक्ति ही करते हैं जो संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य हों। जब महान्यायवादी संसद में सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसे विशेषाधि कार प्राप्त होंगे जो एक सांसद के पास होते हैं।

महान्यायवादी

प्रश्न 1. भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है?

(a) संघीय विधि मंत्री
(b) भारत का महान्यायवादी
(c) विधि सचिव
(d) भारत का मुख्य न्यायाधीश

प्रश्न 2. भारत के एंटोर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति कौन करता है?

(a) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(b) भारत का प्रधानमंत्री
(c) भारत का राष्ट्रपति
(d) संघ लोक सेवा आयोग

प्रश्न 3. भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है?

(a) एंटोर्नी जनरल (महान्यायवादी)
(b) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(c) विधि आयोग का अध्यक्ष
(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 4. निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है?

(a) भारत का एंटोर्नी जनरल
(b) भारत का सालिसिटर जनरल
(c) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
(d) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

उत्तरमाला :-
1.(b) 2.(c) 3. (a) 4. (a)

राज्य का महाधिवक्ता (अनु. 165)

जिस प्रकार केन्द्र सरकार अपने विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी की नियुक्ति करती है, उसी प्रकार राज्य की सरकार विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने तथा विधिक स्वरूप के अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधि वक्ता नियुक्त करेगा (अनु. 165 (1)) । इसका पद राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त बना रहेगा और पारिश्रमिक का निर्धारण भी राज्यपाल करेगा, (अनु. 165 (3)) । महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में या उसकी किसी भी समिति में, जहाँ उसका नाम सदस्य के रूप में नामित हो, अपनी ओर से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करे तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, लेकिन वह

(c) केवल राज्य विधानसभाओं में

(d) संसद के किसी एक सदन में

प्रश्न 4. भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है -

(a) राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा

(b) अकेले संसद के द्वारा

(c) अकेले राज्यों के व्यवस्थापिकाओ द्वारा

(d) अकेले राष्ट्रपति द्वारा

उत्तरमाला

1.(d) 2.(b) 3. (d) 4.(b)

अध्याय-24

आपातकालीन उपबंध

Emergency Provisions

भारतीय संविधान साधारण स्थितियों मे संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है, पर संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो तो संघात्मक ढांचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। संविधान का भाग XVIII इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। इस भाग का नाम है- आपात उपबंध इसमें संविधान के अनुच्छेद 352..360 शामिल है।

आपात के प्रकार

संविधान में तीन तरह की आपात स्थितियां बताई गई है

(i) अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित आपात जो युद्ध बाहर आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता जाता है। इस आपात को राष्ट्रीय आपात (National Emergency) कहे जाने का प्रचलन है हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नही किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 352 का शावक आपात काल उद्घोषणा (Emergency) है।

(ii) अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) के विफल हो जाने की दशा में घोषित इसे राज्य आपात ; State Emergecy भी कह दिया जाता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 356 मे आपात का आपातकाल जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

(iii) अनुच्छेद 160 के तहत घोषित होने वाला वितिय आपात (Financial Emergency) इसकी संबंध भारत उसके किसी भाग के वितिय स्थायित्व (Financial Stability) या साख Credit के संकट पहुंचने से है। इसे संविधान में वितिय आपात (Financial Emergency ही काहा जाता है।

राष्ट्रीय आपात

अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने वाले आपात को राष्ट्रीय आपात कहे जाने का प्रचलन है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित विभिन्न उपबंध कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत समझे जा सकते है।

आपात के उद्घोषणा के आधार

अध्याय-25
लोकनीति

लोकनीति अथवा 'सार्वजनिक नीति' (Public policy) वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन, लोकनीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिये लागू की गयी गतिविधियों का योग है।

- संक्षेप में - जनता की समस्याओं एवं मार्गों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है वे लोक नीतियां कहलाती है
- पीटर आडे गार्ड ने कहा है कि लोक नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वां बच्चे हैं

लोकनीति की अवधारणा का प्रारंभ 1922 ई. में माना जाता है जब राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स मेरीयम ने सरकार की गतिविधियों को लोकनीति कहा । 1937 ई. अमरीका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने लोकप्रशासन के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लोकनीति विषय को शामिल किया गया।

सावर्जनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। सार्वजनिक नीति सामान्यतया अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों, जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है। हम सब अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में असंख्य सार्वजनिक नीतियों से अत्यन्त प्रभावित हैं। सार्वजनिक नीति की पहुँच व्यापक है, अत्यावश्यक से नगण्य तक। सार्वजनिक नीतियाँ आज प्रतिरक्षा, पर्यावरण सरंक्षण, चिकित्सकीय देखभाल एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महँगाई, विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित है। सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर से वृहत स्तर तक अनेक पक्षों के साथ व्यवहार करती है। इसका संबंध चाहे आन्तरिक घरेलू पक्षों से हो या बाह्य विदेशी मामले से। घरेलू क्षेत्र में, सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर के किसी विशिष्ट गाँव पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है या किसी विशिष्ट खण्ड या समुदाय से संबंधित हो सकती है। इसी तरह सार्वजनिक नीतियाँ स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार से संबंधित हो सकती है। सार्वजनिक नीति विदेशी मामले, शिक्षा, प्रतिरक्षा, कृषि, गृह निर्माण, शहरी विकास, सिंचाई आदि से जुड़ी हो सकती है। सार्वजनिक नीतियों का विस्तार अत्यन्त नगण्य पक्ष से लेकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष तक हो सकता है। इसमें किसी राष्ट्रीय नेता की स्मृति में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और इसके तहत सैकड़ों करोड़ रूपये की मजदूरी देना भी सम्मिलित है।

लोकनीति की प्रकृति (Nature of democracy)

लोक नीति की प्रकृति मुख्यतः सरकारी है लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं लोक नीति निर्माण (Public policy making) की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं

लोकनीति वैधानिक व बाध्यकारी होती है यह वास्तव में सरकार द्वारा किये जाने वाला कार्य है

लोक नीति के प्रकार (Types of public policy)

भारत में लोकनीतियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है-

विषय वस्तु के आधार पर-

विषय वस्तु के आधार पर लोकनीतियां के निम्न प्रकार की हो सकती है-

- आर्थिक
- सामाजिक
- राजनीतिक
- सुरक्षा संबंधी आदि

नीति की तकनीकी प्रकृति के आधार पर-

- तात्विक अथवा सारगत नीतियां
- नियंत्रक नीतियां
- वितरक नीतियां
- पुनः वितरक नीतियां
- निर्माणकारी नीतियां

सार्वजनिक नीति की अवस्थाएँ (Stages of public policy)

(1) नीति निरूपण- सार्वजनिक नीति प्रक्रिया में पहली अवस्था नीति-निरूपण है। सार्वजनिक नीति क्रियाकलापों का प्रस्तावित अनुक्रम है जो सार्वजनिक मांगों एवं समस्याओं पर विचार करता है।

(2) नीति व्याख्या- नीति-निरूपण का कार्य पूरा होने के साथ ही नीति में तकनीकी शब्द व वाक्यांश सम्मिलित हो जाते हैं। उन पदों व वाक्यांशों की व्याख्या बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। उनके अन्यथा गलत अर्थ लगाने पर नीति त्याज्य हो सकती है। अतः सरकारी कर्ता-धर्ताओं के लिए नीति की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है।

(3) नीति शिक्षा- सार्वजनिक नीति की अगली अवस्था नीति-शिक्षा है। सरकार, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से, अपने द्वारा बनायी नीति के बारे में जनसामान्य को अवगत कराने का प्रयास

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय – 1

सामान्य परिचय

प्रिय छात्रों, इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान की राजव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और समझें कि एक राज्य की राजव्यवस्था एकदेश की व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समान है।

इस अध्याय के अंतर्गत हमलोग राज्य का विधानमंडल, उच्चन्यायालय, राज्यमहिला आयोग, राज्यमानवाधिकार आयोग, राज्यलोकसेवा आयोग, पंचायतीराज इत्यादि अध्यायों को पढ़ेंगे।

दोस्तों सबसे पहले हम समझ ते हैं कि "राज्य" क्याहो ता है?

दोस्तों राज्य को बनाने के लिए निम्नलि खित चार चीजों की जरूरत पड़ती है जोकि आवश्यकहै।

1.भूमि 2.जनता 3. सरकार 4. संप्रभुता

जब तक यह चारों नहीं होंगे तब तक कोई राज्य नहीं बन सकता। उदाहरण के रूपमें देखेंतो, भारत मे भूमि है अर्थात यह पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें क्रमांक का देश है ।उसी प्रकार भारत की जनता पूरे विश्व में दूसरे की क्रमांक पर है । उसी प्रकार भारत में वर्तमान में एक सरकार भी है जिसका वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होताहै । जैसे वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट उसी प्रकार बीजेपी गवर्नमेंट के पास अपनी एक संप्रभुता है अर्थात संप्रभुता से आशय की सरकार जो भी निर्णय लेती है वह मान्य होता है इस प्रकार भारत एक राज्य है।

उसी प्रकार राजस्थान भी एक राज्य राजस्थान में एक जनता भी है, एक सरकार भी है, और भूमि भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर है और उसके पास संप्रभुता भी है राजस्थान भी एक राज्यहै।

इस राज्य को हम विस्तृत रूप से समझते हैं।

दोस्तों जैसा कि आपको पता है राजस्थान "भारतीय संघ" का एक राज्य है अर्थात देश आजादी के बाद संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद । के तहत हर एक राज्य भारत का हिस्सा है ।देश आजादी के बाद कई राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बने ।राजस्थान राज्य का जो स्वरूप वर्तमान में है वह । नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजस्थान का संवैधानि क प्रमुख वर्तमान में राज्यपाल होता है, इसके पूर्व यहां का संवैधानिक प्रमुख राज्य प्रमुख कहलाता था राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख जयपुर नरेश" सवाई मानसिंह" थे। राजस्थान में राज्यपाल के पद का प्रावधान एक नवंबर 1956 से किया गया तथा श्री गुरुमुख निहालसिंह ने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ली ।राजस्थान में अन्य भारतीय राज्यों की तरह विधानमंडल शासनप्रणाली की व्यवस्था है यहां एक विधानमंडल होता है एक विधानमंडल के दो सदन होते हैं, उच्चसदन व निम्नसदन। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधान सभा निम्न सदन होता है ।लेकिन राजस्थान में केवल विधान सभा का प्रावधान है यहां उच्च सदन नहीं होता। कार्यपालिका राज्य की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रिय छात्रों सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान विभिन्न राजा ओं की स्थली रही है ।यहां विभिन्न राजा ओं के अपने अपने राज्य क्षेत्र हुआ करते थे । लेकिन अब वर्तमान में एक राज्य है यह किस प्रकार एक हुआ है यह समझते हैं विस्तृत रूप से।

अध्याय – 2

राज्यपाल

(अनुच्छेद 153)

- भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है ।यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है
- राज्य में राज्यपालका उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह लिखित किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन 7 वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता ओं की आवश्यकता होती है -

योग्यताएं -

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
4. और वह राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है ।अनुच्छेद 156(1) या वह पदत्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 (2)

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए "महाभियोग" प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उस प्रकार भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

- राज्यपाल का वर्तमान वेतन ₹350000 मासिक है यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें।

- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां -

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।

- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।

- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्य के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्यपाल कार्य पालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।

- राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ नि रहता ओंके

26.	सरदार दरबारा सिह	1 मई 1998 – 23 मई 1998
27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई 1998 – 15 जनवरी 1999
28.	जस्टिस अंशुमान सिह	16 जनवरी 1999 – 13 मई 2003
29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई 2003 – 13 जनवरी 2004
30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सित. 2003 – 13 जन. 2004
31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी 2004 – 31 अक. 2004
32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नव. 2004 – 7 नवम्बर 2004
33.	श्री मति प्रतिभा पाटील	8 नव. 2004 – 23 जून 2007
34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून 2007 – 5 सित. 2007
35.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिह	6 सितम्बर 2007 – 9 जुला. 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई 2009 – 22 जुला. 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिह	23 जुलाई 2009 – 24 जन. 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिस. 2009 – 24 जन. 2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जन. 2010 – 26 अप्रेल 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रेल 2010 – 11 मई 2012
41.	श्रीमती मार्पोट आलवा	12 मई 2012 – 7 अगस्त 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त 2014 – 3 सित. 2014
43.	श्री कल्याणसिह	4 सित. 2014- 8 सित .2019

44	कलराज मिश्र	9 सित. 2019 वर्तमान तक

राज्यपाल का कार्यकाल (अनु0 156 के अनुसार)

अतः उसे **महाभियोग** से नहीं हटाया जा सकता। **राज्यपाल** को हटाये जाने का संविधान में कोई आधार वर्णित नहीं है। अतः उसे किसी भी आधार **पर** हटाया जा सकता है। **राज्यपाल** अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।

संवैधानिक उपबंध -

संविधान के अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है". इसका तात्पर्य यह है की यदि किसी राज्यपाल पर राष्ट्रपति का "प्रसाद" बना रहे तो वह राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रह सकता है. चूँकि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल (Council of Ministers) के सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए व्यवहार में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्त और उसे पद से हटाने का कार्य केंद्र सरकार ही करती है और "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" शब्दों का अर्थ केंद्र सरकार की इच्छा और प्रसन्नता ही है.

उच्चतम न्यायालय की व्याख्या -

वर्ष 2010 में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राज्यपाल से सम्बंधित उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की और कुछ बाध्यकारी सिद्धांत प्रतिपादित किये. यह व्याख्या न्यायालय ने बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ ((B.P. Singhal v. Union of India) के मामले में की. यह मामला जुलाई 2004 में 14वीं लोकसभा के गठन के बाद नवगठित केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और गोवा के राज्यपालों को हटाये जाने से सम्बंधित था.

जब तत्कालीन सरकार के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गयी तो उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति (व्यवहार में केंद्र सरकार) को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को किसी भी समय उसे कोई कारण बताये बिना और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना भी पद से हटा सकते हैं, तथापि, इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, अनुचित या अतार्किक ढंग से या दुर्भावनावश प्रयोग नहीं किया जा सकता. इसके बजाय राज्यपालों को हटाने की शक्ति का प्रयोग दुर्लभ एवं आपवादिक परिस्थितियों में और तर्कसंगत एवं उचित कारणों के होने पर ही किया जाना चाहिए.

केवल यह कहना कि कोई राज्यपाल केंद्र सरकार की नीतियों एवं विचारधारा से भिन्न मत का है, या केंद्र सरकार ने उस राज्यपाल पर अपना विश्वास खो दिया है, उसे हटाये जाने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता. इसलिए, केंद्र की सरकार का बदल जाना किसी राज्यपाल को हटाये जाने और फिर उसके स्थान पर अधिक अनुकूल व्यक्ति को नियुक्त करने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी राज्यपाल को हटाये जाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

ISION NOTES
NLY THE BEST WILL DO

3.	3. श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951 – 03.03.1952
4.	4. श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952 – 31.10.1952
5.	श्री जयनारायणव्यास	01.11.1952 – 12.11.1954
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	13.11.1954 – 11.04.1957
7.	7. श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.04.1957 – 11.03.1962
8.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	12.03.1962 – 13.03.1967
9.	9. राष्ट्रपति शासन	13.03.1967 - 26.04.1967
10.	10. श्री मोहनलाल सुखाड़िया	26.04.1967- 09.07.1971
11.	11. श्री बरकतुल्लाखां	09.07.1971 - 11.10.1973

12.	12. श्री हरि देव जोशी	11.10.1973 – 29.04.1977
13.	13. राष्ट्रपति शासन	30.04.1977 - 21.06.1977
14.	14. श्री भैरोंसिह शेखावत	22.06.1977 – 16.02.1980
15.	15. राष्ट्रपति शासन	17.02.1980 – 05.06.1980
16.	16. श्री जगन्नाथ पहाडिया	06.06.1980 - 13.07.1981
17.	17. श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981 - 23.02.1985
18.	18. श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985 – 10.03.1985
19.	19. श्री हरि देव जोशी	10.03.1985 – 20.01.1988
20.	20. श्री शिव चरण माथुर	20.01.1988 - 04.12.1989

21.	21. श्री हरि देव जोशी	04.12.1989 – 04.03.1990
22.	22. श्री भैरों सिह शेखावत	04.03.1990 – 15.12.1992
23.	23. राष्ट्रपति शासन	15.12.1992 – 03.12.1993
24.	24. श्री भैरोंसिह शेखावत	04.12.1993 – 01.12.1998
25.	25. श्री अशोक गहलोत	01.12.1998 – 08.12.2003
26.	26. श्रीमती वसुन्धरा राजे	08.12.2003- 13.12.2008
27.	27. श्री अशोक गहलोत	13.12.2008 – 13.12.2013
28.	28. श्रीमती वसुन्धरा राजे	13.12.2013 – 13.12.2018
29	29. श्री अशोक गहलोत	17.12.2018 - लगातार

अध्याय – 4

राज्य विधानसभा

- विधान सभा या वैधानिक सभा को द्विसदनीय राज्यों में निचला सदन और एक सदनीय राज्यों में सोलहा उस कहा जाता है।
- दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्रशासित राज्यों में भी इसी नामका प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है।
- 7 द्वि सदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है।
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम का है।
- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है।
- आपात काल के दौरान, इस के सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है।
- विधान सभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं।

सदस्य बनने हेतु योग्यता

- विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
  - वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो।
  - उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है।

18.	18. श्री जी. सी. मित्तल	12.04.94 - 03.03.95
19.	19. श्री ए. पी. रवानी	04.04.95 - 10.09.96
20.	20. श्री एम. जी. मुखर्जी	19.09.96 - 24.12.97
21.	21. श्री शिवराज वी पाटिल	22.01.99 - 14.03.2000
22.	22. श्री ए. आर. लक्ष्मान	29.05.2000 - 25.11.2001
23.	23. श्री अरुणकुमार	02.12.01 - 02.10.02
24.	24. श्री अनिलदेव सिह	24.12.02 - 22.10.04
25.	25. श्री एस. एन. झा	12.10.05 - 15.06.07
26.	26. श्री जे. एम. पंचाल	16.09.07 - 11.11.07

27.	27. श्री नाराया रॉय	05.01.08 - 31.01.09
28.	28. श्री दीपक वर्मा	06.03.09 - 10.05.09
29.	29. श्री जगदीश भल्ला	10.08.09 - 31.10.10
30.	30. श्री अरुण मिश्रा	26.11.10 - 13.12.12
31.	31. श्री अमिताव रॉय	02.01.13 - 05.08.14
32.	32. श्री सुनील अंबवानी	24.03.15 - 21.08.15
33.	33. श्री सतीश कुमार मित्तल	05.03.16 - 14.04.16
34.	34. श्री नवीन सिन्हा	14.05.16 - 17.02.17
35.	35. श्री प्रदीप नन्द्रा जोग	02..4.2017- 06.4.2019

36	36. रविन्द्र भट्ट	05.05.2019 - 22.09.2019
37	37 . इंद्रजीत माहंती	06.10.2019 लगातार

अध्याय – 6

राजस्थान लोकसेवा आयोग

- वर्ष 1923 में ली कमिशन ने भारत में एक संघ लोकसेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी।
- राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत-जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोकसेवा आयोग कार्यरत थे।
- रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त, 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोकसेवा आयोग की स्थापना की।
- इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राज पत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ और इसी तिथी से अध्यादेश प्रभाव में आया।
- स अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोकसेवा आयोग एवं लोकसेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाएं बंद कर दी गयी।
- अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारी गण एवं आयोग के कार्यो संबधित नियम भी तय किये गये।
- आंरभिक चरण में आयोग में एक अध्यक्ष एवं दोस दस्य थे।
- राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- तत्पश्चात श्री देवी शंकर तिवारी एवं श्री एन.आर. चन्दोर कर की नियुक्ती सदस्यों के रूप में एवं संघ लोकसेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी, आई.ई.एस की नियुक्ती__ अध्यक्ष के रूप में की गयी।
- वर्ष 1950 में आयोग के कार्यो को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्न नियम पारित किये गये-

1. राजस्थान लोकसेवा आयोग सेवा की शर्ते नियम, 1950।

2. राजस्थान लोकसेवा आयोग कार्यो की सीमा नियम, 1950।

- लोकसेवा आयोगों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो एवं उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली के कारण भारतीय संविधान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- अनुच्छेद संख्या 16, 234, 315 से 323 तक विशेष रूप से लोकसेवा आयोगों के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में है।

- राजस्थान लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली राजस्थान लोकसेवा आयोग नियम एवं शर्त, 1963 एवं राजस्थान लोकसेवा आयोग (शर्त एवं प्रक्रिया का मान्य करण अध्यादेश 1975 एवं नियम 1976) के द्वारा तय की जाती है।
- वर्तमान में राजस्थान लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सात सदस्य है।
- यह पद संवैधानिक है एवं राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।
- सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यो का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिये उप सचिव तथा परीक्षा नियन्त्रक होते है।
- आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 6वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, के लिए आयोग में कार्यरत रहते है।
- वर्तमान में डॉक्टर राधेश्याम गर्ग राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष है।

अध्याय – 7

राजस्थान में जिला प्रशासन

- राजस्थान में जिला प्रशासन का मुखिया जिलाकलेक्टर होता है, जिसके अधीन विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी काम करते हैं।
- आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिला कलेक्टर के पद पर पद स्थापित किया जाता है।
- सन 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन और भू राजस्व की वसूली के लिए जिलाधिकारी को पद बनाया गया था।
- अब यह राज्य के लोक-प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में प्रमुख है।
- इसका उल्लेख चाणक्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में समाहर्ता के नाम से किया है, जिसका मुख्य कार्य राजकर, राजस्व की वसूली तथा जनपद के कार्यादिक का निरीक्षण करना होता था।
- जिलाधीश, जिलाधिकारी, कलेक्टर के रूप में अधिक परिचित है। इसे जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक-सेवक के तौर पर नियुक्त किया है।
- यह मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, भू-संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारता, ऊर्जा, उद्योग, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी है।
- जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखतः जिले की संपूर्ण कानून-व्यवस्था का प्रभारी है, सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक है।
- यह जनगणना-आयोजक, प्राकृतिक आपदा प्रबंधक,भू-राजस्व-वसूली कर्ता, भूअभिलेख-संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति-व्यस्थापक, ई-गतिविधि नियंत्रक,जन समस्या-विवरण कर्ता भी है।
- जयपुर और जोधपुर जैसे कमिश्नरेट जिलो को छोड़ कर बाकि सभी जिलों में जिला कलेक्टर ही

अध्याय – 12

राजस्थान राज्य महिला आयोग

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया।

इतिहास-

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 कोअंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। फिर उस के बाद से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के दशक के रूप में 1976-85 की घोषणा की।

सीईडीएडब्ल्यू (कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन) पर 1979 में हस्ताक्षर किए, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चित करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है। लेकिन भारत ने 9 जुलाई, 1993 इस संधि सीईडीएडब्ल्यू पर कुछ संशोधनों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, कि इससे न केवल लैंगिक भेदभाव को रोकता है, लेकिन यह भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए, संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में महिलाओं के लिए प्रदान की संवैधानिक अधिकार के कार्यान्वयन धीमा था। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि थी । इस पर अंकुश लगाने के लिए, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति को 1996 में घोषित किया गया था। इसमें महिलाओं के विकास के लिए, और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए, महिलाओं के लिए के लिए राष्ट्रीय आयोग व राज्य आयोगों के गठन का प्रस्ताव किया गया । राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, एक सांविधिक निकाय व स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया।

आयोग के मुख्य कार्य-

(आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख अधिनियम की धारा 11 में किया गया है।)

- महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच करना एवं उस मामले में सरकार को सिफारिश करना।
- प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।
- राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
- महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना।
- आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करना।
- महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले, इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।
- महिला सशक्तीकरण के लिए आयोग द्वारा सीधा जनता से जुड़कर जन सुनवाई व जनसंवाद करके, डाक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलों में जनसुनवाई अथवा व्यक्तिगत सुनवाई करके तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर प्रसंज्ञान लेकर समय समय पर कार्यवाही करने के प्रयास किए जाते हैं।

आयोग की शक्तियां

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 10,11,12 और 13 के तहत आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

अधिनियम के तहत आयोग के पास:

धारा 10 (1) के तहत आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के तहत सुनवाई करते समय।

10 (1) ए॰किसी भी गवाह को बुलवाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, और उसकी पड़ताल करना।0 (1) बी॰किसी भी दस्तावेज की खोज और उसकी प्रस्तुति

राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा - 2021

1. भाग – 1 सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी
2. भाग – 2 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर
3. भाग – 3 इतिहास (भारत + राजस्थान)
4. भाग – 4 भूगोल (भारत + राजस्थान) , कला एवं संस्कृति
5. भाग - 5 संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था (भारत + राजस्थान)
6. भाग - 6 गणित एवं रीजनिंग

इन नोट्स में राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा - 2021 का कम्पलीट सिलेबस (पाठ्यक्रम) शामिल किया गया है , जो लगभग 1400 पेज में समाप्त किया गया है / इनको छात्रों को पड़ने में सिर्फ दो से ढाई माह का समय लगेगा /

नोट्स की विशेषताएं -

1. ये नोट्स निम्नलिखित लोगों के द्वारा तैयार किये गये हैं –
   1) राजस्थान की प्रमुख , प्रसिद्ध , प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की BEST FACULTIES द्वारा तैयार किये गये हैं , जो अपने अपने विषयों में निपुण हैं तथा जिन्हें कम से कम **राजस्थान पटवारी** का कोर्स पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है
   2) इसके आलावा 2/3 वर्षों से **राजस्थान पटवारी** का अध्ययन कर रहे कुछ एक्सपर्ट छात्र , जो किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं
   3) कुछ टॉपर्स से हमारा टाई अप है जो फ़िलहाल नौकरी कर रहे है लेकिन आप लोगो को आगे बढ़ाने के लिए वो हमनें अपने इनपुट्स देते हैं और हमने उनको इन नोट्स में शामिल लिया है
   4) इसके आलावा INFUSION NOTES की अपनी एक अलग टीम है जिसमे सभी अपने अपने विषयों के एक्सपर्ट्स हैं , वो लोग इनको रिव्यु करके अंतिम रूप से तैयार करते है

इन नोट्स में क्या क्या शामिल है

1) **राजस्थान पटवारी परीक्षा** का कम्पलीट सिलेबस (पाठ्यक्रम) शामिल किया गया है सिलेबस के अलावा उसी से जुडी हुई ऐसी जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

2) पिछले वर्षों में आये हुए प्रश्नों का विश्लेषण करके जो टॉपिक अधिक महत्त्वपूर्ण लगे हैं उन पर अधिक ध्यान दिया गया है
3) सभी नोट्स HANDWRITTEN हैं जो नवीनतम रूप से तैयार किये गये है , साफ - साफ लेखन कार्य किया गया हैं
4) हमने इन नोट्स में TRICKS डाली हैं , जिससे फैक्ट्स को आसानी से याद किया जा सके
5) सिर्फ उतनी ही जानकारी को शामिल किया गया हैं , जो परीक्षा की दृष्टि से महत्व पूर्ण है , अनावश्यक जानकारी को हटा दिया गया है
6) MATHES में प्रत्येक सवाल को 2 तरह से (LONG METHOD + SHORT METHOD) में समझाया गया है तथा प्रश्न भी दिए गये हैं ,और उनके सोलूशन भी
7) रिवीजन के लिए अंत में शोर्ट में वनलाइनर रिवीजन तथ्य भी दिए गये है

ये नोट्स आपकी सफलता में कैसे मदद करेंगे –

1. नोट्स को एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया है , जो कोचिग संस्थानों पर पढ़ाते हैं , इसलिए नोट्स की भाषा इतनी सरल है की कोई भी तथ्य एक बार पढने से समझ में आ जाएगा / नोट्स को खुद से ही आसानी से समझा जा सकता है
   इसलिए कोचिग करने की कोई आवश्यकता नही है , इससे हजारों रूपये की कोचिग फीस बचेगी /

2. सारा मटेरियल सिलेबस और पिछले वर्षों में आये हुए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया हैं तो अनावश्यक डाटा को पढने से बचेंगे साथ ही कम से कम समय में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा ,
3. इसके आलावा हमारे एक्सपट्र्स आपको समय - समय पर बताते रहेंगे की तैयारी कैसे - कैसे करनी है

4. इन नोट्स को कुछ इस तरह से भी तैयार किया गया है , की यदि किसी कारणवश छात्र का एग्जाम नही निकलता है तो उसमे जो जानकारी दी गयी वो किसी अन्य एक्साम्स में भी काम आ सकती है , अर्थात् छात्र इनको पढ़कर किसी अन्य एग्जाम में भी APPEAR कर सकता है /

5. इन नोट्स को इस तरह से तैयर किया गया है कि इनको सभी तरह के छात्र आसानी से पढ़ सकते है , जैसे कमजोर छात्र , मीडियम छात्र , एक्सपर्ट्स छात्र /

PRICE DETAIL -

TOTAL six NOTES COST = 600 * 6 = 3600

लेकिन अभी इसकी कीमत है

2190 = RS. (OF six NOTES)

5 % DISCOUNT , यदि ऑनलाइन पेमेंट करते है तो (109 rs discount)

NOTES COST = 2080 RS.

PAYMENT MODE - BOTH - ऑनलाइन , OFFLINE (CASH ON DELIVERY)

DELIVERY TIME = WITHIN Three DAYS

Online Order के लिए Official website	https://www.infusionnotes.com/product/rajasthan-patwari-notes-handwritten-6-books/
Facebook Page	https://www.facebook.com/infusion.notes
Phone Number	01414045784, 8233195718